

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
Department of Technical Education & Training and of Medical Education
SECRETARIAT
Committee for fee Fixation & Admission Procedures for Professional Institutions
Tagore Hostel No. T-2, First Floor-Left Wing, Shyamal Hills, Bhopal- 462002
Phone No. & Fax No. (0755)-2660461, e-mail : osdjbpl@yahoo.co.in

PUBLIC NOTICE

The Committee for Fixation of Fees for professional institutions headed by Hon'ble Justice (Retd.) Shri Gulab Gupta, constituted under the directions of Hon'ble Supreme Court, directed that all the private unaided professional institutions can charge and publish only that fees which are approved by the Committee. Therefore, all private unaided medical and technical institutions (except private unaided engineering colleges) will charge and publish the prevailing fee structure as decided by previous committee headed by justice late Shri Shacheendra Dwivedi, for example, tuition fee of Rs. 1.61 Lacs for MBBS and Rs. 1.10 lacs for BDS courses, and engineering institutions can charge fee fixed by the present Committee's report dated 24.1.2007, till this Committee revises fee for academic session 2007-08 to 2009-10. However, these institutions may publish and inform prospective candidates about the amount of fee proposed by them for the academic session 2007-08, for approval of this Committee.

This is issued with the approval of the Chairman of the Committee.

Sing/-
(Prateek Vajpayee)
Officer on Special Duty

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
सचिवालय
फीस निर्धारण एवं प्रवेश प्रक्रिया संबंधी न्यायाधीशों की समितियाँ
कार्यालय : टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461 ई-मेल : osdjbpl@yahoo.co.in

सर्व साधारण के लिये सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) श्री गुलाब गुप्ता की अध्यक्षता में गठित फीस निर्धारण समिति के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश में स्थित समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थाएं केवल वही फीस लागू/प्रसारित कर सकती हैं जो समिति द्वारा अनुमोदित हो । अतः जब तक यह समिति शैक्षणिक वर्ष 2007-08 से 2009-10 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण नहीं करती तब तक समस्त गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाएं (केवल गैर अनुदान प्राप्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को छोड़कर) वर्तमान में लागू फीस ढांचे के अनुसार फीस ले सकेंगी/प्रसारित कर सकेंगीं जिसे पूर्व में स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री शचीन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में गठित फीस निर्धारण समिति द्वारा तय किया गया है, उदाहरणार्थ, एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक शुल्क 1.61 लाख तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक शुल्क रु. 1.10 लाख । गैर अनुदान प्राप्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय वह फीस ले सकेंगे जिसे वर्तमान समिति की रिपोर्ट दिनांक 24.01.07 द्वारा तय किया गया है । हालांकि संस्थाएं समिति के अनुमोदनार्थ शैक्षणिक वर्ष 2007-08 हेतु प्रस्तावित फीस से संभावित उम्मीदवारों को अवगत करा सकेंगीं ।

समिति के अध्यक्ष की अनुमति से जारी ।

हस्ता/-
(प्रतीक वाजपेयी)
विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी